19-4-17 बत्तीलाल के	वकील वादी उपस्थित है। प्रतिवादी बत्तीलाल स्वयं उपस्थित है। प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र आदेश 9 नियम 7 C.P.C स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के विरुद्ध दि० 13-2-15 को की गई एकतरफा कार्यवाही निरस्त की जाती है। प्रतिवादी बत्तीलाल ने अपने बयान दर्ज करवाए। बहस हेतु पत्रावली दि० 5-5-17 को पेश हो।
5-5-17	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10-5-17 को पेश हो। रीडर
10-5-17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० है। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रा० दि० 31-5-17 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
31-5-17	वकील वादी उपस्थित है। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 9-6-17 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
9-6-17	वकील वादी उप०। श्रीमान् S.D.O. सा० भ्रमण पर है। पत्रावली दि० 30-6-17 को निर्णय हेतु पेश हो। रीडर
30-6-17	वकील वादी उपस्थित है। पुनः बहस सुनी गई। दावा वादिया डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

नि…
कलेक्ट…
मुकदमा…
60/20…
मूडी दे…
हीरापुर…
1. बत्ती… हीरा…
2. छुट्… हीरा…
3. धनि… हीरा…
4. रामि… हीरा…
5. रामि… हीरा…
6. शान्त… हीरा…
7. सुरेश… हीरा…
8. मानि… हीरा…
9. लैम्ड…
उपस्थित…
उ…
है कि ग्र…
खातेदार…
टटवाडा…
जरिए र…
कब्जा र…
ख0नं0…
कायम…
खातेदार…
रामसहाय…
हो चुका…
उप जिला क…
गंगापुर सिटी…

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
60/2014	29.5.2014	30.6.2017

मूडी देवी पत्नि रामेश्वर जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी ——वादिया

बनाम

1. बत्तीलाल पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. छुट्टन पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
3. धनसिंह पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
4. रामसिंह पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
5. रामखिलाडी पुत्र श्रीचन्द जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
6. शान्तीलाल पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
7. सुरेश पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
8. मानसिंह पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
9. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट, वादिया की ओर से
श्री प्रकाश चन्द शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी 1 से 5 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादिया मूडी देवी ने इस आशय का पेश किया है कि ग्राम हीरापुर में भूमि साबिक ख0नं0 1277 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा का खातेदार काबिज काश्तकार श्रीचन्द पुत्र फैली मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर रहा है। उक्त खातेदार ने दिनांक 12.5.1980 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र यह भूमि वादिया को विक्रय कर दी एवं भूमि पर कब्जा संभला दिया तब से वादिया इस भूमि पर काबिज काश्त है। साबिक ख0नं0 1277 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा का नवीन ख0नं0 2393 रकबा 0.58 है0 कायम किया गया है जिसका अब वर्तमान में ख0नं0 673 बना है। पूर्व खातेदार श्रीचन्द का इन्तकाल हो चुका है एवं उसके वारिस रामजीलाल, रामसहाय, रामखिलाडी रहे हैं। इनमें रामजीलाल व रामसहाय का इन्तकाल हो चुका है। रामखिलाडी मौजूद है। रामजीलाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 1

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

लगायत 4 हैं एवं रामसहाय के वारिस प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 हैं। भूमि मुतदाविया से किसी अन्य का कोई वास्ता नहीं है परन्तु भूमि का इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से चला आ रहा है। वादिया ने कितनी ही बार इस गलत इन्द्राज को सही कराने हेतु प्रतिवादीगण से कहा परन्तु वे टालमटोल करते रहे । दिनांक 22.5.14 को प्रतिवादीगण ने भूमि मुतदाविया में वादिया को दखलंदाजी देना शुरू कर दिया इसलिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर भूमि ख0नं0 673 रकबा 0.58 है0 ग्राम हीरापुर का वादिया को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित फरमाया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में वादिया के पक्ष में इन्द्राज किए जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0नं0 673 रकबा 0.58 हैक्टर गाम हीरापुर मे वादिया के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में माने मदाखलत ना तो स्वयं ना किसी अन्य से करावें ना ही गलत इन्द्राज की आड में उक्त भूमि को रहन, वय, दान इत्यादि करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए । अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादिया ने असल विक्रय पत्र दिनांक 12.5.80 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2027 से 2030 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2054 से 2057 प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5, प्रदर्श–6, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–7 पेश किए हैं एवं वादिया मूडी देवी, गवाह मुनिराज व प्रतिवादी बत्तीलाल के बयान कराए हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं कोई मौखिक साक्ष्य भी नहीं कराए गए हैं।

बहस विद्वान वकील वादिया सुनी गई।

वादिया के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि वादिया ने दिनांक 12.5.80 को भूमि के खातेदार काश्तकार श्रीचंद से खरीदी थी एवं खरीद के समय से ही वादिया इस भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। इस विक्रय पत्र का राजस्व अभिलेख में अमल नहीं होने से यह भूमि आज भी श्रीचंद के वारिसों के नाम दर्ज चली आ रही है। अब श्रीचंद के वारिस वादिया द्वारा खरीदी गई भूमि में वादिया को कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए वादग्रस्त भूमि वादिया की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2027 से 2030 प्रदर्श–3 के अनुसार भूमि ख0नं0 1277 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा ग्राम नारायणपुर टटवाडा श्रीचन्द पुत्र फैलू

उप जिला कलेक्टर
कोटपुतली (राज0)

मीना निवासी हीरापुर की खातेदारी की भूमि है। विक्रय पत्र दिनांक 12.5.80 प्रदर्श–1 के अनुसार श्रीचन्द मीना ने यह नम्बर वादिया श्रीमती मूडी देवी को विक्रय कर भूमि का कब्जा वादिया को संभला दिया। किन्हीं कारणों से इस विक्रय पत्र का राजस्व अभिलेख में वादिया के नाम अंकन नहीं हुआ एवं भूमि यथावत पूर्व खातेदार के नाम चलती रही । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6 के अनुसार ख0नं0 1277 का नवीन नम्बर 2393 रकबा 0.58 है0 कायम हुआ। ग्राम हीरापुर अलग होने के कारण ख0नं0 2393 का नम्बर 673 बनाया गया जो नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5 के अनुसार है। नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069 प्रदर्श–2 के अनुसार ख0नं0 673 रकबा 0.58 हैक्टर ग्राम हीरापुर श्रीचन्द के वारिसों के नाम खातेदारी में दर्ज है। चूंकि इस भूमि के पूर्व नम्बर 1277 को वादिया श्रीमती मूडीदेवी जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि0 12.5.80 खरीद चुकी है इसलिए अब वह इस भूमि के बने नवीन नम्बर 673 रकबा 0.58 हैक्टर की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद डिक्री किया जाकर वादिया श्रीमती मूडी देवी को भूमि ख0नं0 673 रकबा 0.58 हैक्टर ग्राम हीरापुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि वर्तमान खातेदारों के नाम से हजफ की जाकर वादिया की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

मूडी देवी पत्नि रामेश्वर जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी ——वादिया

बनाम

1. बत्तीलाल पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. छुट्टन पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
3. धनसिंह पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
4. रामसिंह पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
5. रामखिलाडी पुत्र श्रीचन्द जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
6. शान्तीलाल पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
7. सुरेश पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
8. मानसिंह पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा ढाणी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी
9. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 68/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ——— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद डिक्री किया जाकर वादिया श्रीमती मूडी देवी को भूमि ख0नं0 673 रकबा 0.58 हैक्टर ग्राम हीरापुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि वर्तमान खातेदारों के नाम से हजफ की जाकर वादिया की खातेदारी में

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मूडी देवी बनाम बत्तीलाल वगैरा, दावा

दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.6.2017 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मिजान		